

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी

1/ निगरानी/गुना/गु.रा/2018/1695

दिनांक 12-3-18
16-3-18
12-3-18

✓ 18/3/18

1. नन्नूलाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम ईदगाह बाडी वार्ड नं. 7 हनुमान मंदिर के पास गुना जिला गुना म.प्र.
2. ललिताबाई पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम ईदगाह बाडी वार्ड नं. 7 हनुमान मंदिर के पास गुना जिला गुना म.प्र.
3. श्रीमती गुलाब बाई पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण सिंह पत्नी लाला निवासी ग्राम छोडा चौराहा शिवपुरी म.प्र.
4. श्रीमती हर्का बाई पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण सिंह पत्नी श्री भगीरथ सिंह , निवासी ग्राम नानाखडी मण्डी रोड गुना म.प्र.

.....आवेदकगण

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
2. गोमती बाई पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण सिंह निवासीगण ग्राम ईदगाह बाडी तहसील गुना जिला गुना म.प्र.
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर गुना जिला गुना म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना गुना द्वारा प्रकरण
क्रमांक 02/ पुर्नविलोकन / 2017 - 18 में पारित आदेश
दिनांक 01.02.2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -तीन/निगरानी/गुना/भू.रा./2018/1695

नन्लाल आदि विरुद्ध अमर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद श्रीवास्तव एवं अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक तथा अनावेदक क्र. 3 शासन उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना, जिला-गुना के प्रकरण क्रमांक 02/पुनर्विलोकन/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 01-02-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-07-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 16.5.19</p>